रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2018/पौष 20, 1939
No. 113] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2018/PAUSHA 20, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

का.आ.131(अ).— वायुयान नियम, 1937 के नियम 3क के उप-नियम (2) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार तारीख 4 अक्तूबर, के का.आ. संख्या 726(अ) के द्वारा तारीख 6 अक्तूबर, 1994 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, पूर्ववर्ती नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचना में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में, –

(i) पहली अनुसूची में, —

(क) स्तंभ 1 में, ''वरिष्ठ उड़न योग्यता अधिकारी'' जहां कहीं ये आते हैं, शब्दों के स्थान पर, ''सहायक निदेशक उड़नयोग्यता'' शब्दों को रखा जाए;

(ख) स्तंभ 2 में, —

(i) "2 से 5", दोनों स्थानों पर, जहां कहीं ये आते हैं, अंकों और शब्द के स्थान पर "5" अंक को रखा जाए;

(ii) "39 से 62", अंकों और शब्द के स्थान पर "39, 40, 40क, 45 से 62" अंकों और शब्द को रखा जाए;

(iii) "39 से 42", जहां कहीं ये आते हैं, अंकों और शब्द के स्थान पर "39, 40" अंकों को रखा जाए;

(iv) "4" जहां कहीं यह आता है, अंक का लोप किया जाए;

(v) "41" जहां कहीं आता है, दोनों स्थान पर, अंक का लोप किया जाए;

(vi) स्तंभ 1 में आने वाली "निदेशक उड़न योग्यता (मुख्यालय)" की प्रविष्टि के सामने, स्तंभ 2 में, "47" और "58" अंकों के स्थान पर क्रमशः "40क, 47" और "57क, 58" अंकों और अक्षरों को रखा जाए ;

(vii) स्तंभ 1 में आने वाली "निदेशक उड़न योग्यता (क्षेत्र)" की प्रविष्टि के सामने, स्तंभ 2 में "47", "54" और "64 से 70", अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः "40क, 47", "54, 54क, 57क" और "64, 65 से 70" अंकों, अक्षरों और शब्द को रखा जाए;

(viii) स्तंभ 1 में आने वाली "उप निदेशक, उड़न योग्यता (मुख्यालय) की प्रविष्टि के सामने, स्तंभ 2 में, "2 से 4" अंकों और शब्द का लोप किया जाए और 53 से 56," अंकों और शब्द के पश्चात, "57क," अंकों और अक्षर को अन्तःस्थापित किया जाए;

(ix) "स्तंभ 1 और 2 में, "नियंत्रक, उड़न योग्यता" संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात: —

"उपनिदेशक उड़न योग्यता (क्षेत्र)"	16, 18, 21, 22, 25 से 28, 30, 34, 37, 39, 40, 50, 51, 54क, 57क, 58, 65, 70, 77, 79 से 82";

(ii) दूसरी अनुसूची, —

(क) क्रम संख्यांक 2, 3 और 4 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ख) स्तंभ 3 में, क्रम संख्यांक 17 के सामने ", नवीकरण" शब्द का लोप किया जाए;

(ग) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाए, अर्थात्:—

"18.	नियम 50 का उप-नियम (2) और (6)	वायुयान के बाबत विशेष उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र जारी करना और नवीकरण करना और इस प्रयोजन के लिए दस्तावेज और अन्य साक्ष्य विनिर्दिष्ट करना।";

(घ) क्रम संख्यांक 19 के सामने, स्तंभ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाए, अर्थात्:—
"एक या एक से अधिक प्रवर्ग में वायुयान का उड़न योग्यता प्रमाण पत्र या विशेष उड़न योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना या विधिमान्य करना।";

(ङ) क्रम संख्यांक 20 के सामने, स्तंभ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाए, अर्थात्:—
"उड़न योग्यता पुनरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना या विस्तार करना।";

(च) स्तंभ 2 में, क्रम संख्यांक 21 और 22 के सामने "(5)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(7)" कोष्ठकों और अंक को रखा जाए;

(छ) स्तंभ 3 में, क्रम संख्यांक 23, 24, 37 और 38 के सामने, "उड़न योग्यता प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "उड़न योग्यता प्रमाण पत्र या विशेष उड़न योग्यता प्रमाण पत्र" शब्दों को रखा जाए;

(ज) स्तंभ 3 में, क्रम संख्यांक 25, 27 और 28 के सामने, "वायुयान और उड़न योग्यता प्रमाण पत्र" के स्थान पर क्रमशः "वायुयान या वायुयान टाइप और उड़न योग्यता प्रमाण पत्र या विशेष उड़न योग्यता प्रमाण पत्र" शब्दों को रखा जाए;

(झ) स्तंभ 3 में, क्रम संख्यांक 26 के सामने, "कोई वायुयान" और "उड़न योग्यता प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "वायुयान या वायुयान टाइप" और "उड़न योग्यता प्रमाण पत्र या विशेष उड़न योग्यता प्रमाण पत्र" शब्दों को रखा जाए;

(ञ) क्रम संख्यांक 40 के सामने, स्तंभ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाए, अर्थात:—
"किसी वायुयान को विशेष उड़ान अनुज्ञा तब जारी करना जब उसका उड़न योग्यता प्रमाण पत्र या विशेष उड़न योग्यता प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है या निलंबित माना गया है।";

(ट) क्रम संख्यांक 40 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात:—

"40क	नियम 55क का उप-नियम (1)	किसी वायुयान को तब विशेष उड़ान अनुज्ञा जारी करना जब वह उड़नयोग्यता अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करता है किंतु ऐसी शर्तें जो विशेष उड़ान अनुज्ञा में विहित की जाए, के अधीन रहते हुए सुरक्षित प्रचालन की दशा में है।";

(ठ) क्रम संख्यांक 41, 42, 43 और 44 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ड) स्तंभ 3 में, क्रम संख्यांक 48 के सामने, "शीत" शब्द के स्थान पर "भार " शब्द को रखा जाए;

(ढ) क्रम संख्यांक 54 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाए अर्थात:—

"54	नियम 60 के खंड (क) का उप-नियम (2)	किसी वायुयान, वायुयान संघटक और उपस्कर की मद की सतत उड़नयोग्यता की शर्तों और मानकों का विनिर्दिष्ट करना।
54क.	नियम 60 के खंड (ख) का उप-नियम (2)	अनुरक्षण प्रणाली का अनुमोदन करना।";

(ण) क्रम संख्यांक 57 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात:—

"57क.	नियम 61 का उप-नियम (6)	वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति का विस्तार करना।";

(त) क्रम संख्यांक 54 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात:—

"64क.	नियम 133खक का उप-नियम (1)	वायुयान, इंजन और संघटक के अनुरक्षण या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशी अनुमोदित संगठन को स्वीकार करना।
64ख.	नियम 133खक का उप-नियम (2)	वायुयान, इंजन और संघटक के अनुरक्षण या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशी अनुमोदित संगठन का नवीकरण स्वीकार करना।";

(थ) क्रम संख्यांक 71 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात:—

"71क	नियम 133खक का उप-नियम (3)	विदेशी अनुमोदित संगठन को रद्द करना, निलंबित करना या किसी स्वीकृति को पृष्ठांकित करना या चेतावनी जारी करना या भर्त्सना करना।"।

[फा.सं. ए.वी.-11012/14/2010-ए]

अरूण कुमार,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना तारीख 4 अक्तूबर, 1994 की का.आ.संख्या 726 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन तारीख 29 सितंबर, 2017 को भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 25 सितंबर, 2017 की का.आ.सं. 3185 के द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

S.O. 131(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3A of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Civil Aviation and Tourism published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th October, 1994 vide number S.O. 726 (E), dated the 4th October, 1994, namely:—

In the said notification, —

(i) in the First Schedule, —

(a) in column 1, for the words "Senior Airworthiness Officer", wherever they occur, the words "Assistant Director of Airworthiness" shall be substituted;

(b) in column 2, —

(i) for the figures and word "2 to 5", at both the places, where they occur, the figure "5" shall be substituted;

(ii) for the figures and word "39 to 62", the figures, letter and word "39, 40, 40A, 45 to 62" shall be substituted;

(iii) for the figures and word "39 to 42", wherever they occur, the figures "39, 40" shall be substituted;

(iv) the figure "4", wherever it occurs, shall be omitted;

(v) the figure "41", at both the places, where it occurs, shall be omitted;

(vi) against the entry "Director of Airworthiness (Headquarters)" occurring in column 1, in column 2, for the figures "47" and "58", the figures and letters "40A, 47" and "57A, 58" shall respectively be substituted;

(vii) against the entry "Director of Airworthiness (Region)" occurring in column 1, in column 2, for the figures and word "47", "54" and "64 to 70", the figures, letters and word "40A, 47", "54, 54A, 57A" and "64, 65 to 70" shall respectively be substituted;

(viii) against the entry "Deputy Director of Airworthiness (Headquarters)" occurring in column 1, in column 2, the figures and word "2 to 4" shall be omitted and after the figures and word "53 to 56,", the figure and letter "57A," shall be inserted;

(ix) for the entries, relating to "Controller of Airworthiness", in column 1 and 2, the following shall be substituted, namely: —

"Deputy Director of Airworthiness (Region)	16, 18, 21, 22, 25 to 28, 30, 34, 37, 39, 40, 50, 51, 54A, 57A, 58, 65, 70, 77, 79 to 82";

(ii) in the Second Schedule, —

(a) serial numbers 2, 3 and 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) against serial number 17, in column 3, the word ", renew" shall be omitted;

(c) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"18.	Sub-rules (2) and (6) of rules 50	To issue and renew Special Certificate of Airworthiness in respect of an aircraft and to specify documents and other evidence for the purpose.";

(d) against serial number 19, for the entry in column 3, the following entry shall be substituted, namely:—

"To issue or render valid Certificate of Airworthiness or Special Certificate of Airworthiness of an aircraft in one or more categories.";

(e) against serial number 20, for the entry in column 3, the following entry shall be substituted, namely:—

"To issue or extend Airworthiness Review Certificate.";

(f) against serial numbers 21 and 22, in column 2, for the brackets and figure "(5)", the brackets and figure "(7)" shall be substituted;

(g) against serial numbers 23, 24, 37 and 38, in column 3, for the words "Certificate of Airworthiness", the words "Certificate of Airworthiness or Special Certificate of Airworthiness " shall be substituted;

(h) against serial numbers 25, 27 and 28, in column 3, for the words "an aircraft" and "Certificate of Airworthiness", the words "an aircraft or type of aircraft" and "Certificate of Airworthiness or Special Certificate of Airworthiness" shall respectively be substituted;

(i) against serial number 26, in column 3, for the words "any aircraft" and "Certificate of Airworthiness", the words "an aircraft or type of aircraft" and "Certificate of Airworthiness or Special Certificate of Airworthiness" shall respectively be substituted;

(j) against serial number 40, for the entry in column 3, the following entry shall be substituted, namely:—

"To issue a special flight permit to an aircraft when Certificate of Airworthiness or the Special Certificate of Airworthiness is suspended or deemed to be suspended.";

(k) after serial number 40 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"40A.	Sub-rule (1) of rule 55A	To issue a special flight permit when an aircraft is not fully in compliance with the airworthiness requirements but is in a condition for safe operation subject to such conditions as are specified in the special flight permit.";

(l) serial numbers 41, 42, 43 and 44 and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) against serial number 48, in column 3, for the word "winter", the word "weight " shall be substituted;

(n) for serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"54.	Clause (a) of sub-rule (2) of rule 60	To specify conditions and standards for continuing airworthiness for any aircraft, aircraft component and item of equipment.
54A.	Clause (b) of sub-rule (2) of rule 60	To approve the maintenance system.";

(o) after serial number 57 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"57A.	Sub-rule (6) of rule 61	To grant extension of Aircraft Maintenance Engineer's Licence.";

(p) after serial number 64 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

"64A.	Sub-rule (1) of rule 133BA	To accept foreign approved organisation for the purpose of maintenance of aircraft, engine and components or training.
64B.	Sub-rule (2) of rule 133BA	To renew acceptance of foreign approved organisation for the purpose of maintenance of aircraft engine and components or training.";

(q) after serial number 71 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"71A.	Sub-rule (3) of rule 133BA	To cancel, suspend or endorse any acceptance or issue a warning or an admonition to the foreign approved organisation.".

[F. No. AV-11012/14/2010-A]

ARUN KUMAR, Joint Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 726(E), dated the 4th October, 1994 and last amended *vide* number S.O. 3185 (E), dated the 25th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th September, 2017.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.18 20:13:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.